भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 30

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
श्री अनुराग शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामाकंन के लिए पात्र लोगों का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ख) अटल पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके प्रारंभ से अब तक इसमें नामांकित लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले सहित राज्य-वार कुल कितनी पेंशन राशि जमा हुई है;

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच एपीवाई के अंतर्गत जागरूकता तथा नामांकन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तथा एपीवाई के अंतर्गत अधिक लोगों को शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना से आयकरदाताओं को हटा दिया है तथा एपीवाई के कवरेज तथा लाभों का विस्तार करने के लिए अन्य योजनाएं क्या हैं तथा योजना के अंतर्गत लाभों के वितरण में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन राशि बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एपीवाई योजना को अन्य सामाजिक सुरक्षा पहलों के साथ समेकित करने और इसके निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सर्व-सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 09.05.2015 को किया गया था। योजना की समीक्षा की गई थी एवं इसे बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.10.2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं है। एपीवाई योजना में प्रति माह 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए की लचीली न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, एपीवाई योजना में शामिल होने की उम्र और चयन की गई पेंशन राशि के आधार पर वर्तमान में प्रति माह अभिदान राशि 42 रुपये से 1454 रुपये तक अलग-अलग होती है। पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि से अभिदान राशि में पर्याप्त वृद्धि होने और अभिदाता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना रहती है। वर्तमान में, इस योजना को पूर्व कथित नियमों और शर्तों के अंतर्गत जारी रखने और पेंशन और परिणामी अभिदान राशि में और वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के साथ-साथ अटल पेंशन योजना भी एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करती है, जो विशेष रूप से गरीबों और वंचितों पर लक्षित है।

राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 31.12.2024 तक, एपीवाई के अंतर्गत कुल 7,25,77,540 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है और आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में 1,77,490 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। एपीवाई के अंतर्गत समग्र नामांकन के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-क में दिए गए हैं। दिनांक 31.12.2024 तक एपीवाई के अंतर्गत कुल संचित कोष 43,369.98 करोड़ रुपये है।

सरकार और पीएफआरडीए ने अन्य बातों के साथ-साथ एपीवाई के बारे में जागरूकता और उसके कवरेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) जागरूकता लाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

(ii) 13 स्थानीय भाषाओं में एपीवाई अभिदाता संबंधी सूचना ब्रोशर

(iii) पात्र लाभार्थियों के बीच एपीवाई का प्रचार करने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टाफ, स्व सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक-सखियों के लिए वर्चूअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(iv) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसआरएलएम एपीवाई के संबंध में जागरूकता और इसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं।

(v) ऑनलाइन शामिल करने को सहज बनाने के लिए ई-एपीवाई, नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक के वेब पोर्टल जैसे ऑनलाइन चैनलों को सक्रिय करना।

*****

अनुबंध-क

"अटल पेंशन योजना (एपीवाई)" के संबंध में दिनांक 3.2.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30

योजना को आरंभ किए जाने से लेकर एपीवाई के अतंर्गत राज्य-वार सकल नामांकन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एपीवाई के अतंर्गत सकल नामांकन (दिनांक 31.12.2024 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24,342
2	आंध्र प्रदेश	37,87,818
3	अरुणाचल प्रदेश	97,073
4	असम	17,24,187
5	बिहार	69,62,850
6	चंडीगढ़	1,22,403
7	छत्तीसगढ़	15,06,803
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1,49,584
9	दिल्ली	11,53,225
10	गोवा	1,95,738
11	गुजरात	26,30,510
12	हरियाणा	15,13,197
13	हिमाचल प्रदेश	5,26,074
14	जम्मू और कश्मीर	2,15,433
15	झारखंड	22,42,292
16	कर्नाटक	37,77,067
17	केरल	12,98,686
18	लद्दाख	5,635
19	लक्षद्वीप	7,877
20	मध्य प्रदेश	43,21,322
21	महाराष्ट्र	57,77,185
22	मणिपुर	1,26,832
23	मेघालय	1,27,659
24	मिजोरम	50,402
25	नागालैंड	1,47,422
26	ओडिशा	26,78,743
27	पुदुचेरी	96,080
28	पंजाब	20,29,008
29	राजस्थान	39,36,814
30	सिक्किम	2,69,717
31	तमिलनाडु	48,61,711
32	तेलंगाना	19,02,118
33	त्रिपुरा	2,79,254
34	उत्तर प्रदेश	1,16,95,458
35	उत्तराखंड	7,53,748
36	पश्चिम बंगाल	55,77,083
37	अन्य	6,190
कुल		**7,25,77,540**

स्रोत: पीएफआरडीए